न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

रेफ्रेन्स प्रकरण संख्या :— 85/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राज0)

—प्रार्थी

—बनाम—

गोकुलराम दत्तक पुत्र सूरजाराम जाति जाट निवासी ढाणी बड़वाला तन अजयनगर पोस्ट संजयनगर तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।

— अप्रार्थी

रेफ्रेन्स अ0धा0 82 आर0एल0आर0ए0, 1956
नामांतरकरण संख्या 53 दिनांक 27.5.1989 पपुरना।

उपस्थितिः—

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता ——— —राज0सरकार की ओर से ।
2. श्री संजय सैनी, एडवोकेट ——————————अप्रार्थी की ओर से ।

—निर्णय—

दिनांक :— 05.01.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार (भूमिधारी) खेतड़ी ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/11 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निणय दिनांक 28.01.2011 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.5.2012 की अनुपालना में यह रेफ्रेन्स न्यायालय में पेश किया गया है। रेफरेंस प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि—भूमि खसरा नंबर 3073 रकबा 0.57 हैक्टर किस्म बारानी 3 मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम अजय नगर की जमाबंदी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या—31 पर गोकुल राम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ढाणी बड़वाला खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 3073 रकबा 0.57 है0 जो गत पैमाईस में खसरा नंबर 6326 रकबा 14/1 बीघा किस्म गै.मु. जोहड़ से बना हआ है। उक्त हाल खसरा नंबर 3073 रकबा 0.57 हैक्टर सम्वत 2012 में गै.मु. जोहड़ राजकीय भूमि दर्ज है जो सम्वत 2026 से 2029 की नकल जमाबंदी में खाता संख्या 7 खसरा नंबर 6326 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन जोहड़ दर्ज है जो मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार नया पुराना नंबर बना हुआ है। उक्त भूमि हाल खसरा नंबर 3073 रकबा 0.57 है जो मुताबिक निर्णय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के मु0नं0 167/88 निर्णय दिनांक 06.5.1989 जरिये नामांतरकरण

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

पंजीका ग्राम पपुरना–।।। के नामान्तकरण संख्या–53 से गोकुलराम दत्तक पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाणी बड़वाली तन पपुरना के नाम खातेदारी दर्ज हुई है जिसकी किस्म गै.मु. जोहड दर्ज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/11 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निणय दिनांक 28.01.2011में चारागाह भूमियों, जोहड़ पायतन और तालाबों की भूमियों में से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लए दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.5.2012 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों जैसे नदी, नाला, बांध, तालाब, जोहड़ के रूप में दर्शायी है तथा जिनके वाटरफलो से उक्त जलाश्यों में पानी पहुंचता है, में किये गये भूमि आवंटन एवं खातेदारी अधिकार दिये गये को आर.टी.ए. की धारा 16 के विपरित मानते हुये राजस्थान काश्तकारी अधि0 के प्रभावी होने की तिथि 31.10.1955 की स्थिति अनुसार नदी, नाला, तालाब, बांध, जोहड़ की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये हैं। श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने परिपत्र क्रमांक प.3 (146) राज–7/2011 दिनांक 26.62012 से बदलाव वाली भूमि पर हुये आवंटन/खातेदारी निरस्त करने हेतु धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 के अन्तर्गत रेफरेंस दर्ज करवाने हेतु आदेशित किया हुआ है। इस प्रकार माननीय न्यायालयों के निर्णयों की अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 53 दिनांक 27.5.89 को निरस्त/खारिज किये जाने योग्य है। अतः रेफरेंस प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालयों के निर्णय की अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 53 दिनांक 27.5. 1989 को निरस्त /खारिज फरमावें।

रेफ्रेन्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलवी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण की ओर से विद्धान वकील श्री संजय सैनी उपस्थित। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र रेफ्रेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि खसरा नंबर 3073 रकबा 0.57 हैक्टर किस्म बारानी 3 मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम अजयनगर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या–31 पर गोकुल राम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ढाणी बड़वाला खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 3073 रकबा 0.57 है0 जो गत पैमाईस में खसरा नंबर 6326 रकबा 14/1 बीघा किस्म गै.मु. जोहड़ से बना हआ है। उक्त हाल खसरा नंबर 3073 रकबा 0.57 हैक्टर सम्वत 2012 में गै.मु. जोहड़ राजकीय भूमि दर्ज है जो सम्वत 2026 से 2029 की नकल जमाबंदी में खाता संख्या 7 खसरा नंबर 6326 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन जोहड़ दर्ज है जो मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार नया पुराना नंबर बना हुआ है। उक्त भूमि हाल

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

खसरा नंबर 3073 रकबा 0.57 है जो मुताबिक निर्णय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के मु0नं0 167/88 निर्णय दिनांक 06.5.1989 जरिये नामांतरकरण पंजीका ग्राम पपुरना–।।। के नामान्तकरण संख्या–53 से गोकुलराम दत्तक पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाणी बड़वाली तन पपुरना के नाम खातेदारी दर्ज हुई है जिसकी किस्म गै.मु. जोहड दर्ज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/11 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निणय दिनांक 28.01.2011 में चारागाह भूमियों, जोहड़ पायतन और तालाबों की भूमियों में से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लए दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.5.2012 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों जैसे नदी, नाला, बांध, तालाब, जोहड़ के रूप में दर्शायी है तथा जिनके वाटर फलो से उक्त जलाश्यों में पानी पहुंचता है, में किये गये भूमि आवंटन एवं खातेदारी अधिकार दिये गये को आरटीए की धारा 16 के विपरित मानते हुये राजस्थान काश्तकारी अधि0 के प्रभावी होने की तिथि 31.10.1955 की स्थिति अनुसार नदी, नाला, तालाब, बांध, जोहड़ की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये हैं। इस प्रकार माननीय न्यायालयों के निर्णयों की अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 53 दिनांक 27.5.89 को निरस्त/खारिज किये जाने योग्य है। अतः रेफरेंस प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालयों के निर्णय की अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 53 दिनांक 27.5.1989 को निरस्त /खारिज फरमावें।

अप्रार्थीगण की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री संजय सैनी ने दौराने बहस बताया कि वादग्रस्त भूमि जोहड़ की भूमि नहीं है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 लागू हुआ उससे पूर्व से कब्जा–काश्त है। भूमि खसरा नंबर 3073 जिसके पुराने खसरा नंबर 6326 जमाबंदी सम्वत 2026 से 2029 व 2030 से 2033 में सुरजाराम पुत्र लादूराम के नाम से दर्ज है जो बारानी 3 के रूप में दर्ज है न कि गैर मु0 जोहड़ के रूप में दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के मुकदमा संख्या 167/88 के द्वारा गोकुलराम दत्तक पुत्र सुरजाराम के नाम से 06.05.1989 को उपखंड अधिकारी ने वादी गोकुल के हक में दावा डिक्री किया है । दिनांक 05.2.1972 को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौके पर कब्जा दे दिया गया और राजस्व रिकार्ड में नामांतरण संख्या 1098 के द्वारा अमल दरामद कर दिया गया था और उनका नाम जमाबंदी में खातेदार के रूप में दर्ज हो गया, जिसका लगान भी वादी के पिता द्वारा अदा किया गया है। राजस्व अधिकारियों की गलती से भू प्रबंध विभाग द्वारा वादी के हक में नई मिशल हकियत में 0.66 हैक्टर का खातेदार बनाया जिसमें भी गैर खातेदार दर्ज कर दिया । वादी के पिता की मृत्यु के बाद गोकुलराम का नाम दर्ज हुअ। नामांतरण जिसको दुरूस्त करवाने के लिए वादी ने एक वाद

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

संख्या 167/88 प्रस्तुत किया जो दिनांक 6.5.1989 को डिक्री हो गया ओर इस प्रकरण में तहसीलदार खेतड़ी को ही प्रतिवादी बनाया गया था। तहसीलदार खेतड़ी ने आज तक उक्त निर्णय व नामांतरकरण संख्या 1098 को कहीं चैलेंज नहीं किया गया। गोकुलराम के पिता सुरजाराम को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन कर कब्जा दिया गया था और उसके आधार पर नामांतरण संख्या 1098 दर्ज हुआ न कि उक्त खातेदारी नामातरण संख्या 53 के आधार पर दर्ज हुई थी। नामांतरण संख्या 53 ग्राम पपुरना के किसी माधोसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत के नाम दर्ज है और उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। तहसीलदार ने यह प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया है। आवंटन कमेटी द्वारा सुरजाराम के हक में दिनांक 05.02.1972 को किया गया आवंटन को आज तक चैलेंज नहीं किया है। गोकुलराम द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया गया था वह उसके रकबे को गैर खातेदारी में दर्ज करने व कम भूमि दर्ज करने के कारण पेश किया गया था। रेगुलाईज आदेश दिनांक 05.2.1972 को एसडीओ खेतड़ी द्वारा मिशल संख्या 56/1972 के आधार पर कुछ पेलेंटी जमा करवाकर रेग्युलाईज कर दिया गया था तथा जिला कलेक्टर झुंझुनू 13.9.1971 को मिसल संख्या 56/1972 के द्वारा इस भूमि को राज्य सरकार की सहमती से किस्म परिवर्तन कर वादी के पिता सूरजाराम के हक में नामांतरण संख्या 1098 के द्वारा रेग्युलाईजेशन हुआ था। दिनांक 5.2.1972 के रेग्युलाईजेशन के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में अपील संख्या 84/1973 के द्वारा मांगूराम वगैरह द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 27.8.1975 को मांगूराम पुत्र लादूराम ग्राम पपुरना द्वारा की गई अपील को निरस्त करते हुये रेग्युलाईजेशन आदेश 05.2.1972 को सुरजाराम के पक्ष में यथावत रखा गया था। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2026 से 2029 व 2030 से 2033 में भूमि खसरा नंबर 3073 जिसके पुराने खसरा नंबर 6326 सुरजाराम पुत्र लादूराम के नाम से दर्ज है जो बारानी 3 के रूप में दर्ज है न कि गैर मु0 जोहड़ के रूप में दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा संख्या 167/88 में गोकुलराम दत्तक पुत्र सुरजाराम के नाम से दिनांक 06.05.1989 को दावा डिक्री किया गया है । दिनांक 5.2.1972 के रेग्युलाईजेशन के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में अपील संख्या 84/1973 के द्वारा मांगूराम वगैरह द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 27.8.1975 को मांगूराम पुत्र लादूराम ग्राम पपुरना द्वारा की गई अपील को निरस्त करते हुये रेग्युलाईजेशन आदेश 5.2.1972 को सुरजाराम के पक्ष में यथावत रखा गया है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार खेतड़ी द्वारा वर्षों पुराने प्रकरण में रेफरेंस के माध्यम से ग्राम पपुरना तहसील खेतड़ी के नामांतरण संख्या–53 दिनांक 27.5.1989 को निरस्त कराने का

98

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

निवेदन किया है। धारा 82 एल0आर0एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि– **भू–प्रबंध आयुक्त या भू–अभिलेख निदेशक या कलेक्टर अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा निर्णीत मुकदमें के या उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख दिये गये आदेश की वैधता अथवा औचित्य से तथा कार्यवाहियों की नियमितता से अपने आपको संतुष्ट करने के प्रयोजन के लिये अभिलेख मंगा सकेगा तथा परीक्षण कर सकेगा, और यदि उसकी यह राय हो कि ऐसे अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियां या दी गई आज्ञा परिवर्तित, रद्द या उलट/रिवर्स कर दी जानी चाहिये तो वह उस मुकदमें को उस पर अपनी राय के साथ यदि वह मुकमदा न्यायिक प्रकार का है या भू–प्रबंध से सम्बन्धित है तो मण्डल को और यदि वह मामला गैर–यायिक प्रकार का है तथा भू–प्रबंध से सम्बन्धित नहीं है, तो राज्य सरकार की आज्ञा के लिए निर्देशित करे।**

जहां तक नामांतरण संख्या 53 का प्रश्न है, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के आदेश डिक्री के आधार पर खोला गया है और राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने अपील संख्या 84/1973 के द्वारा दिनांक 27.8.1975 को मांगूराम पुत्र लादूराम ग्राम पपुरना द्वारा की गई अपील को निरस्त करते हुये रेग्युलाईजेशन आदेश 5.2.1972 को सुरजाराम के पक्ष में यथावत रखा गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध, निर्देश देने के लिए जिला कलक्टर समक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचना किये बिना रेफरेंस प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण पोषणीय नहीं है। तहसीलदार खेतड़ी द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये हस्तगत रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थना पत्र रेफ्रेन्स स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है। तहसीलदार खेतड़ी सक्षम न्यायालय में विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। पत्रावली तहसीलदार, खेतड़ी को निर्णय की प्रति के साथ भिजवायी जावे ।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुंझुनू